न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 120/2019 निर्णय दिनांक :– 19.2.20

उनवान

1. रामलाल पुत्र बन्ना
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री मूल्या
3. नारायण पुत्र श्री मूल्या

जाति गुर्जर निवासी – ग्राम डूंसरी, तहसील चाकसू, जिला जयपुर राज.

––प्रार्थीगण

–बनाम–

1. रामकरण पुत्र गोगा
2. कालू पुत्र गोगा
3. भागोता पुत्र गोगा
4. गोपाल पुत्र बनना
5. बोदू पुत्र लादू

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

6. प्रहलाद पुत्र किशना
7. घीसी देवी पत्नि स्व. गिर्राज
8. प्रभू देवी
9. सोहन देवी
10. काली देवी
11. सरोज देवी
12. प्रेम देवी
13. लक्ष्मा देवी पुत्रिया स्व. गिर्राज
14. कैला पुत्री रच. गिर्राज ना.बा. जरियें संरक्षक माता घीसी देवी
15. धन्नी पत्नि बनना

समस्त जाति गुर्जर निवासी – ग्रांम डूसरी, तहसील चाकसू, जिला – जयपुर राज.।

16. तहसीलदार तहसील कार्यालय चाकसू जिला जयपुर।
17. उपपंजीयक कार्यालय चाकसू जिला जयपुर।

––अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष ठोस एवं सुदृढ़ आधारो पर प्रस्तुत कर दिया है, जिसमे प्रार्थीगण को सफलता प्राप्त होने की पूर्ण आशा है। वाके ग्राम डूसरी, पटवार हल्का रूपवास, भू अभिलेख क्षेत्र कादेडा तहसील चाकसू, जिला जयपुर के आराजी खसरा नं. 334, 335, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 365, 367, 368/1186, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 461, 462, 463, 876, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 885, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 896, 897, 900, 991, 992, 994, 995, 996 कुल किता 50 कुल रकबा 8.99 है0 भूमि स्थित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का सजरा खानदान वादपत्र के पैरा नम्बर 3 में वर्णित अनुसार है। सजरा खानदान के अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज एक ही है। जिनके द्वारा अपनी खातेदारी भूमियो का संवत 2025 के बाद में आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया था। जिसके अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 4 से 15 के पूर्वजो के हिस्से मे दो पाती की जमीन तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पूर्वजों के हिस्से मे एक पाती की जमीन का आपसी सहमति से बंटवारा किया गया था तथा भाई–बंध होने के कारण उसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में नही कराया जा सका, जबकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 4 से 15 अपने पूर्वजो के समय से ही मद संख्या 1 मे वर्णित भूमि के 2/3

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

हिस्से पर खेती बाडी करते चले आ रहे है तथा अप्रार्थी सख्या 1 से 3 अपने पूर्वजों के समय से ही 1/3 हिस्से पर खेती बाडी करते चले आ रहे है। इसके अलावा खसरा नंबर 892 कुंआ प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सख्या 4 से 15 के पूर्वजों के द्वारा खुदाया गया था तथा खसरा नंबर 372 मे नया कुआ प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 4 से 15 के द्वारा खुदवाया गया था। जिसका खसरा नंबर 372 में स्थित कुआ राजस्व रिकार्ड मे नही है। इस बात का फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 खसरा नंबर 392 व 372 मे बने हुये कुओं पर अवैध रूप से कब्जा करने पर आमादा हो रहे है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 4 से 15 वादग्रस्त सम्पति पर 2/3 हिस्से पर काबिज काश्त होकर उपयोग –उपभोग करते चले आ रहे है परन्तु अप्रार्थी सं. 1 से 3 के नाम गलत रिकार्ड होने एवं खसरा नंबर 372 में स्थित कुआ राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की नियत खराब हो गयी है तथा वे येन–केन प्रकारेण उक्त सम्पति पर 1/3 हिस्से से अधिक हिस्से पर तथा दोनो कुओ पर अवैध कब्जा करने पर आमादा है। जिसका की अप्रार्थी सख्या 1 से 3 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। जब प्रार्थीगण के द्वारा इस बात का विरोध किया जाता तो अप्रार्थी संख्या 1 से 3 नही मानते तथा कहते है कि वे प्रार्थीगण को बेदखल करके रहेगे, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को ऐसा करने का कोई विधिक

उप खण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

अधिकार नही है, ना ही अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को प्रार्थीगण को बिना विधिक प्रक्रिया अनपाये बेदखल करने का अधिकार प्राप्त है। इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर स्वयं एवं अप्रार्थी सख्या 4 से 15 को वादग्रस्त आराजीयात में 1/2 के स्थान पर 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करवाये। प्रार्थीगण अधिकारी है कि माननीय न्यायालय से अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को इस कद्र पांबद फरमा देवे कि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 उपरोक्त वादग्रस्त सम्पति वर्णित मद सं. 2 के 2/3 हिस्से के उपयोग–उपभोग मे प्रार्थगण को हैरान परेशान नही करे, न तो कोई मजामत पैदा करे, ना ही उक्त भूमि का विक्रय करे, ना ही राजस्व रिकोर्ड में फेरबदल करें, ना ही उक्त सम्पति को अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करे। ऐसा ना तो अप्रार्थी संख्या 1 से 3 स्वयं करे, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट इत्यादि से करवावे। दिनांक 10.07.2019 को प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिये कहा तो अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने कहा कि वे वादग्रस्त सम्पति के रिकार्ड को दुरूस्त नहीं करवायेगे तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 4 से 15 को उनके 2/3 हिस्से पर खेतीबाडी नही

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

करने देगे। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की धमकियो को देखते हुये प्रार्थीगण के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थीयण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या केस भली भांति साबित है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति साबित है। अगर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण अपने कृत्सित उद्देश्यों में सफल हो जायेगें तथा प्रार्थीगण को उनकी कृषि भूमि के उपयोग–उपभोग से वंचित कर देगे व अनुचित लाभ प्राप्त कर लेगा। जिससे प्रार्थीगण अपने विधिक अधिकारों से वंचित हो जायेगा। प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो अप्रार्थीगण अपने कुत्सित उद्देश्यों में सफल होकर प्रार्थीगण को उनकी कृषि भूमि के उपयोग–उपभोग से वंचित कर देगे तथा राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम गलत इन्द्राज होने का फायदा उठाकर वादग्रस्त सम्पति को खुर्द–बुर्द कर देगे। इस कारण से प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। जिसकी पूर्ति धन से किया जाना संभव नहीं है। जबकि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो अप्रार्थगण को किसी प्रकार की कोई क्षति कारित नहीं होगी। अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 1से 3 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

फरमाया जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 उपरोक्त वादग्रस्त सम्पति वर्णित मद सं. 2 के 2/3 हिस्से. के उपयोग–उपभोग मे प्रार्थीगण को हैरान परेशान नहीं करे, न तो कोई मजामत पैदा करे, ना ही उक्त भूमि का विक्रय करे, ना ही राजस्व रिकोर्ड में फेरबदल करें, ना ही उक्त सम्पति को अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करे। ऐसा ना तो अप्रार्थी संख्या 1 से 3 स्वयं करे, ना ही अपने किसी ऐजेन्ट, सर्वेन्ट इत्यादि से करवावे। अप्रार्थी संख्या 16 व 17 राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन नही करे। अप्रार्थीगण मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी के द्वारा पेश किये जाने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गयी तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार पेश किया गया कि :– प्रार्थना पत्र का मंद नं. 1 मनगढत आधारों पर होने से अस्वीकार है। प्रार्थी को सफलता प्राप्त होना मात्र कल्पना है। प्रार्थना पत्र के मद नं. 02 में वर्णित आराजी होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के. मद नं. 03 में वर्णित सजरा गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के मद नं. 04 में वर्णित तथ्य गलत व बनावटी होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण कह यह कहना गलत है कि भूमियों का संवत 2025 के बाद आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया हो ज़िसके बडा प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. ध 4 ता 15 के पूर्वजो के हिस्से

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

में दो पाती की जमीन तथा अप्रार्थी सं. 01 ता 03 के पूर्वजो के हिस्से में एक पाती की जमीन बल्कि अप्रार्थी सं 01 ता 03 अपने 1/2 हिस्से के खातेंदार अपने पूर्वजों के समय से ही रहे है तथा उसी अनुसार काबिज है। जहां तक कुआ निर्माण करने का प्रश्न है वो भी स्वंय अप्रार्थी सं. 01 ता 03 का है इस प्रकार अप्रार्थी सं. 01 ता 03 के 1/2 हिस्से की आराजी से प्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं है तथा जिसका विधिवत तकासमा भी अप्रार्थी सं. 01 ता 03 ने मान्य न्यायालय से करवा लिया है। प्रार्थना पत्र के मद नं. 05 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है, प्रार्थीगण का यह कहना गलत है कि अप्रार्थी सं0 01 ता 03 के नाम गलत रिकोर्ड हो बल्कि उनका 1/2 हिस्से का रिकोर्ड है जो सही है जिसका वर्तमान में मान्य न्यायालय से तकासमा हो चुका है तथा प्राथीगण अपनी उक्त आराजी पर काबिज काश्त है जिसे किसी प्रकार कोई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। प्रार्थना पत्र के मद नं. 06 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के मद नं. 07 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी सं. 01 ता 03 खातेदार है जिनको अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। प्रार्थना पत्र के मद नं. 08 में वर्णित तथ्य बनावटी, काल्पनिक व मिथ्या होने से अस्वीकार है। प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थी सं. 01 ता 02 के पक्ष में है

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

यदि उन्हे अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया गया तो वे अपने अधिकारों सें महरूम हो जायेगे तथा उन्हे अपूर्तनीय क्षति होगी।

—अतिरिक्त कथन—

प्रार्थीगण ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है. कि प्रार्थीगण का उक्त आराजी में 2/3 हिस्सा है किस आधार पर है तथा किसी राजस्व रिकार्ड के अनुसार हैं कही पर भी अंकित नहीं है, ना ही ऐसा कोई रिकॉड पेश किया है इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बेबुनियाद व मिथ्या आधारों पर होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य. उपरोक्त वर्णित आराजी को लेकर तकासमें का दावा चला जो अन्तिम रूप से निस्तारित हो चुका है वर्तमान में उपरोक्त नंबर अस्तित्व में नहीं है क्योंकि तकासमा हो जाने के बाद अलग नंबर बन गये है। अप्रार्थी सं. 01 ता 03 के तकासमें का नामान्तकरण नहीं खुले इसलिये मिथ्या आधारों पर प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज किये. जाने योग्य है। अप्रार्थी सं. 01 ता 03 अपने पूर्वजो के समय से ही अपनी आराजी पर काबिज काश्त है तथा खातेदार है जिन्हे अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता तथा उनकी उक्त आराजी से प्रार्थीगण का दूर दूर तक कोई

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

संबंध व सरोकार नहीं है। जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को भारी हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाया जावें। जो न्यायहित में न्यायोचित है।

जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने पर बहस प्रार्थना पत्र पेश होने पर बहस प्रार्थना पत्र पक्षकारान वकील की सुनी गयी तो दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण व अप्रार्थीगण पूर्वज एक ही है जिनके द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का संवत 2025 के बाद आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया जिसके अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 4 से 15 के पूर्वज के हिस्से में दो पाती की जमीन तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पूर्वजों के हिस्से में एक पाती की जमीन का आपसी सहमति से बंटवारा किया था, भाई बन्ध होने से इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में नी करवाया, प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 4 से 15 अपने पूर्वजों के समय से ही वर्णित भूमि के 2/3 हस्से पर खेती बाडी करते आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 अपने पूर्वजों के समय से 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त है खसरा नम्बर 892 में कुआ प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा खुदवाया है व खसरा नम्बर 372 में नया कुआ प्रार्थीगण ने खुदवाया है जो रिकार्ड में दर्ज नही होने से नये बने कुओ पर अवैध रूप से कब्जा करने पर आमदा है जिसका

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को कोई अधिकार नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

जवाब बहस में अप्रार्थी वकील ने जवाब प्रार्थना का समर्थन करते हुये कथन किया कि पक्षकारान के पूर्वजों द्वारा संवत 2075 में आपसी सहमति से बंटवारा नही किया गया था। कुआ निर्माण अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का स्वयं का है अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के 1/2 हिस्से का आराजी से प्रार्थीगण का कोई लेना देना नही है। जिसका विधिवत तकासमा भी अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने मान्य न्यायालय से करवा लिया अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम 1/2 हिस्से का रिकार्ड है जो सही है, जिसका तकासमा हो चुका है प्रार्थीगण उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में 2/3 हिस्सा किस आधार पर है ये नही बताया है। न ही ऐसा कोई रिकार्ड पेश किया है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य उपरोक्त वर्णित आराजी को लेकर तकासमे का दावा चला जो अन्तिम रूप से निस्तारित हो चुका है वर्तमान में उपरोक्त नम्बर अस्तित्व में नही है तकासमा हो जाने के बाद अलग नम्बर बन गये है। केवल अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के तकासमे का नामान्तकरण नही खुले इस प्रकार प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 अपने पूर्वजों के समय से ही अपनी आराजी पर काबिज काश्त है

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

जिन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा सकता अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पक्षकारान वकील की बहस पर मनन किया व प्रार्थना पत्र जवाब प्रार्थना पत्र का परीक्षण किया गया तो प्रार्थीगण का उक्त आराजी में 2/3 हिस्सा है किस आधार पर न तो प्रार्थना पत्र में अंकित किया न ही कोई दस्तावेज पेश किय गया। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य उपरोक्त वर्णित भूमि को लेकर तकासमे का वाद संख्या 127/2018 भागुता बनाम घीसी देवी का चला जो अन्तिम रूप से दिनांक 22.04.2019 को निस्तारित हो चुका है वर्तमान में उपरोक्त नम्बर अस्तित्व में नही है तकासमा हो जाने के बाद अलग नम्बर बन गये। केवल प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के तकासमे का नामान्तकरण नही खुले इसलिये प्रार्थना पत्र पेश किया गया है इस प्रकार उपरोक्त विवेचन अनुसार एक भूमि से संबंधित बार बार प्रार्थना पत्र पेश किये जाने से प्रार्थना चलने योगय नही होने व सुविधा का संतुलन, प्रथम दृष्टया केस एवं अपूर्णीय क्षति अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में भली प्रकार से साबित होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना है। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से न्यायालय द्वारा जारी पूर्व आदेश दिनांक 30.

उपखण्ड अधिकारी
बाकसू (जयपुर)

07.2019 का प्रभावहीन्त हो गया है। पत्रावली बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)
चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2020.05.21 16:31:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: